HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9437/2026
CNR: RJHC020574382026 | URN: CRLMB / 17465U / 2026

Chandra Prakash Tirthani Alias Babu S/o Sh. Khemchand, Aged About 41 Years, R/o House No. 6/204, Malviya Nagar, Jaipur.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Akhilesh Simlote Mr. Dikshant Jain
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

03/09/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 482 बी.एन.एस. के तहत पुलिस थाना–मालपुरा गेट, जयपुर शहर (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–182/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 112(2), 61(2) बी.एन.एस. तथा धारा 66–सी, 66–डी आई.टी.एक्ट, व धारा 3, 4 आर.पी.जी.ओ. में अग्रिम जमानत का लाभ देने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि न्यायालय के पूर्व में पारित आदेश दिनांक 9.7.2026 की पालना में प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा अनुसंधान में भाग लिया जा चुका है तथा उससे अनुसंधान भी पूर्ण हो चुका है। अन्वेषण में उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। उनका तर्क है कि विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट से प्रकट हो रहा है कि अब तक किए गये अनुसंधान से उसका अपराध की घटना में शामिल होना नहीं पाया गया तथा उसके विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने विरोध किया।

समस्त तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा न्यायालय के पूर्व

आदेश की पालना में अनुसंधान में भाग लिया जा चुका है तथा उससे अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अब तक किए गये अनुसंधान से उसके विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उनके यहॉ पंजीबद्ध उक्त मामले में प्रार्थी को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(SHUBHA MEHTA),J

67/JITENDRA SINGH PANWAR